"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुक्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

रायपुर, संगलवार, दिनांक 6 जून 2023 - ज्येष्ठ 16, शक 1945

महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2023

अधिसूचना

कमांक एफ 1—16/2022/मबावि/50.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा में भर्ती एवं सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2023 कहलायेंगे।
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) सेवा के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है आयुक्त / संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़:
 - (ख) "समिति" से अभिप्रेत है नियम 9 (1) के अधीन गठित चयन समिति / विभागीय पदोन्नति समिति;
 - (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 6 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
 - (घ) ''शासन'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
 - (ड.) ''राज्यपाल'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
 - (च) "विभागाध्यक्ष" से अभिप्रेत है संचालनालय महिला एवं बाल विकास के 'आयुक्त/संचालक ।
 - (छ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा समय—समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ—8—5—पच्चीस—4—84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
 - (ज) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
 - (झ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

- (ञ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;
- (ट) ''सेवा'' से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यपालिक तृतीय श्रेणी (अराजपत्रित) सेवा;
- (ठ) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।
- 3. विस्तार तथा लागू होना.— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।
- 4. सेवा का गउन. सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-
 - (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहे हों;
 - (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और
 - (3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।
- 5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगेः

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय–समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

- 6. भर्ती का तरीका.— (एक) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—
 - (क) पर्यवेक्षकों के पद हेतु कुल रिक्त पदों के 50% पदों की पूर्ति, खुली सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा;
 - (ख) रिक्त पदों के शेष 50% पदों की पूर्ति, ''आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं' से परिसीमित सीधी भर्ती हेतु आयोजित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा।
 - (दो) सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों में ली जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।
 - (तीन) सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन, शासन के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी अथवा प्राधिकृत एजेंसी/संस्था द्वारा किया जायेगा।
 - (चार) सेवा में भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा नियम 6 (एक) (क) एवं 6 (एक) (ख) के लिए पृथक—पृथक आयोजित की जायेगी।
 - (पांच) इन नियमों के नियम 8 (1) की पात्रता/शर्तों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, खुली सीधी भर्ती की प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले सकते हैं। किन्तु परिसीमित सीधी भर्ती में, केवल वे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जो इन नियमों के नियम 8 (2) की पात्रता/शर्तों को पूरा करते हैं, भाग ले सकते हैं।
 - (छः) परिसीमित सीधी भर्ती हेतु प्रतिस्पर्धा केवल इन नियमों के नियम 8 (2) में विनिर्दिष्ट मापदंडो को पूरा करने वाले मात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मध्य होगी।
 - (सात) भर्ती किये जाने वाले पदों हेतु मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा जो इन मापदंडों को शासन की सहमति से अपना सकेगी।
 - (आठ) खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) पृथक-पृथक तैयार की जायेगी।
 - (नौ) खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती में पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर—क्रीमी—लेयर) के अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) आरक्षण अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंधों तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्रों के दिशा—निर्देशों के अनुसार आरक्षित किया जायेगा।
 - (दस) सेवा में भर्ती हेतु, दिव्यांगजनों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के उपबंधो के अनुसार आरक्षण रहेगा।

(ग्यारह) इन नियमों के मापदण्ड तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अनुसार, अभ्यर्थियों की उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त किये जाने के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम प्रावीण्य सूची में आये हो।

(बारह) पर्यवेक्षक के पद के लिए चयन सूची, प्रत्येक प्रवर्ग के लिए, परीक्षा के परिणाम से तैयार की गई प्रावीण्य सूची के वरिष्ठता क्रम में होगी।

(तेरह) आरक्षित रिक्तियों को भरते समय उन अभ्यथियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के सदस्य है, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम प्रावीण्य/चयन सूची में आये हों।

(चौदह) सेवा में खुली सीधी भर्ती एवं परिसीमित सीधी भर्ती हेतु पाठ्यक्रम, परीक्षा अवधि, पूर्णांक इत्यादि का निर्धारण नियुवित प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(पन्द्रह) प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थियों के नाम को सम्मिलित किया जाना ही, उसे नियुक्ति का अधिकार तब तक प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन का ऐसी जांच के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त/पात्र है।

(सोलह) तैयार की गई प्रवर्गवार (अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग वर्ग) चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की पात्रता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन करने के उपरांत, उपयुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। पात्रता संबंधी मूल अभिलेखों का सत्यापन नियुक्ति प्राधिकारी अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(सत्रह) चयन सूची के जारी होने की तारीख से, एक वर्ष की अवधि तंक प्रतीक्षा सूची वैध होगी।

(अठारह) वरिष्ठता सूची का निर्धारण, प्रावीण्य सूची के अनुसार होगा। समान अंक होने की स्थिति में, उसके लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन किया जायेगा। उसी वरिष्ठता सूची में, खुली सीधी भर्ती से चयनित पर्यवेक्षकों के पश्चात् परिसीमित सीधी भर्ती से चयनित पर्यवेक्षकों को रखा जायेगा।

- 7. सेवा में नियुक्ति.— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।
- 8. सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्ते.-
 - (1) खुली सीधी भर्ती के लिये— खुली सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्रता के कम में, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—
 - एक. आयु— (क) वर्ष, जिसमें प्रतियोगी / चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो एवं उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो।
 - (ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–कीमी–लेयर) से संबंधित हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 - (ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
 - (घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:—
 - (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;
 - (दों) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी।
 - (तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो,

कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

- (एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-
- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;
- (तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;
- (चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);
- (पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
- (छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;
- (सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;
- (आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।
- (च) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति / पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (छ) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
- (ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।
- (झ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार पूर्व में की गई नगर सेना सेवा की कालाविध के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (ञ) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा मे छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयुसीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु

उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

- (ट) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।
- टीप— (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के उप—िनयम (1) के खण्ड एक के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) एवं (दों) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।
 - (2) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।
- दो. शैक्षणिक अर्हताएं:— अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये यथा विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन के कॉलम (5) में दर्शित है।
- तीन. शुल्क— अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये शुल्क का भुगतान करना होगा।
- चार. अन्य शर्ते (क) केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी।
 - (ख) अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हों।
- (2) परिसीमित सीधी भर्ती के लिए— परिसीमित सीधी भर्ती के अंतर्गत पर्यवेक्षक के पदों के लिए केवल कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ही आवेदन कर सकती हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निम्नलिखित शर्ते पूर्ण करनी होंगी, अर्थात् :—
 - (एक) आयु सीमा वर्ष, जिसमें प्रतियोगी / चयन परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिवस को अभ्यर्थी ने अनुसूची—तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो एवं उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो। आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी प्रभावशील होंगे।
 - (दो) शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभव अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव होनी चाहिए, जैसा कि अनुसूची—तीन के कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट है।
- 9. चयन समिति. —(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी। समिति में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिला सदस्य का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। (अनुसूची—तीन का कॉलम (6) देखिये)
 - (2) चयन सिमिति, नियम 6 (एक) (क) एवं 6 (एक) (ख) प्रत्येक के लिए, अभ्यर्थियों की वरीयता के क्रम में एकीकृत सूची के अतिरिक्त, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो, अन्य पिछड़े वर्गों एवं दिव्यांग वर्गों की पृथक—पृथक सूची तैयार करेगी।
 - (3) चयन समिति, अपनी अनुशंसा सहित अभ्यर्थियों की चयन सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध करायेगी जिसके आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।
- 10. निरर्हता.— (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जायेगा।
 - (2) कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।
- (5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम अवधारण न कर दिया जाए।

- (6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।
- 11. अभ्यर्थियों की पात्रता के विशय में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.— (1) परीक्षा / चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
 - (2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरहिंत हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
- 12. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे नियुक्त किये गये प्रत्येक व्यक्ति, 3 वर्ष की कालाविध के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा ।
- 13. आरक्षण. इन सेवा नियमों के अधीन की गई भर्ती में, अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों (नान—क्रीमी—लेयर) एवं दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण, संबंधित वर्ग के आरक्षण नियमों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय—समय पर जारी किये गये निर्देशों के अध्यधीन होंगे।
- 14. निर्वचन.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 15. शिथिलीकरण.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

16. निरसन एवं व्यावृत्ति.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये राज्य शासन द्वारा समय—समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **पोषण चंद्राकर**, विशेष सचिव.

अनुसूची—एक (नियम 5 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतन मेट्रिक्स लेवल	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक लेखाधिकारी	02	तृतीय श्रेणी	लेवल–9	संचालक, कोष एवं लेखा सेवाएं से
	(क्षे.म.प्र.सं. केन्द्र)				प्रतिनियुक्ति द्वारा
2.	पर्यवेक्षक	1750	तृतीय श्रेणी	लेवल-6	आयुक्त / संचालक महिला एवं बाल
					विकास विभाग

अनुसूची—दो (नियम 6 देखिये)

	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत					
स. क्र.	सेवा / पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	सीधी भर्ती द्वारा (नियम ६ (एक) (क) देखिए)	पदोन्नति द्वारा (नियम ६ (एक) (ख) देखिए)	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण / प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (एक) (ग) देखिए)	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	पर्यवेक्षक	1750	50% खुली	_		परिसीमित सीधी भर्ती से
			सीधी भर्ती एवं			रिक्त पदों के 50% की पूर्ति
			50% परिसीमित			आंगनबाडी कार्यकर्ताओं से की
			सीधी भर्ती			जायेगी

अनुसूची—तीन (नियम 6 देखिये)

		r			
स.	सेवा/पद का	न्यूनतम आयु	अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हताएं एवं	टिप्पणियां
क्र	नाम	सीमा	आयु सीमा	अनुभव	10-11-1-11
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	पर्यवेक्षक (खुली	21 वर्ष	35 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त	
	सीधी भर्ती)			विश्वविद्यालय से स्नातक की	महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
				उपाधि	(2) चयन समिति.—
2.	पर्यवेक्षक	25 वर्ष	45 वर्ष	(1) किसी मान्यता प्राप्त	(एक) अध्यक्ष
	(कार्यरत			मण्डल से हायर	,
	आंगनबाडी			सेकण्डरी (10+2) की	(दो) अनुसूचित् जाति का प्रतिनिधि
	कार्यकर्ताओं से			परीक्षा उत्तीर्ण,	सदस्य
	परिसीमित सीधी			अथवा	(तीन) अनुसूचित जनजाति का
	भर्ती)			किसी मान्यता प्राप्त	प्रतिनिधि सदस्य
				मण्डल से पुरानी हायर	
				सेकण्डरी की परीक्षा	सदस्य
				उत्तीर्ण।	
	a li			(1)	(पांच)महिला वर्ग का प्रतिनिधि सदस्य
				(2) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के	(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के सेवा
				पद पर निरंतर 05 वर्ष	अनुभव एवं आयु की गणना में
				सेवा का अनुभव।	पर्यवेक्षक पद हेतु विज्ञापन
				(3) आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के	
				पद पर कार्यरत होना	
				चाहिए।	सम्मिलित किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 30 मई 2023

क्रमांक एफ 1—16/2022/मबावि/50.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30—05—2023 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **पोषण चंद्राकर**, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 30th May 2023

NOTIFICATION

No. F- 1-16/2022/WCD/50.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment and conditions of the service to the Chhattisgarh Women and Child Development Department Executive Class-III (Non-Gazetted) Services, namely:-

RULES

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Women and Child Development Department Executive Class-III (Non-Gazetted) Services Recruitment Rules, 2023.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Appointing Authority" in respect of service means the Commissioner/Director, Women and Child Development, Chhattisgarh;
 - (b) "Committee" means a Selection Committee/ Departmental Promotion Committee constituted under rule 9(1) respectively;
 - (c) "Examination" means the competitive examination held for recruitment to the service conducted under rule 6 of these rules;
 - (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
 - (e) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;
 - (f) "Head of the Department" means the Commissioner/ Director of the Directorate of Women and Child Development;
 - (g) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;
 - (h) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
 - (i) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;
 - (j) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;
 - (k) "Service" means the Chhattisgarh Women and Child Development Department Executive Class-III (Non-Gazetted) Services;
 - (1) "State" means the State of Chhattisgarh.
- 3. Scope and application. Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.
- 4. Constitution of the service. The service shall consist of the following persons, namely:-
 - (1) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

- (2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.
- 5. Classification, scale of pay etc.- The classification of the service, the number of posts included in the service and the scale of pay attached thereto shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts and pay scale included in the service, either on a permanent or temporary basis.

- 6. Method of recruitment.- (i) Recruitment to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely: -
 - (a) for the post of supervisors, out of total vacancies 50% of the posts shall be filled by competitive examination held for open direct recruitment;
 - (b) 50% of remained vacancies shall be filled by competitive examination held for limited direct recruitment from "Anganwadi Workers".
 - (ii) The competitive examination for the recruitment to the service shall be held time to time, at such intervals as the Appointing Authority determine, in consultation with the Government.
 - (iii) The competitive examination for the recruitment to the service shall be conducted by the Appointing Authority in consultation with Government or by an authorized agency/institution.
 - (iv) The competitive examination for the recruitment to the service shall be held separately for rule 6 (i) (a) and 6 (i) (b).
 - (v) Anganwadi workers fulfilling the eligibility/conditions of rule 8 (1) of these rules, can participate in competitive examination—for open direct recruitment. But in limited direct recruitment, only anganwadi workers fulfilling the eligibility/conditions of rule 8 (2) of these rules, can participate.
 - (vi) For limited direct recruitment, the competition shall be only among eligible Anganwadi Workers fulfilling the conditions specified in rule 8 (2) of these rules.
 - (vii) On the basis of merit, Government may set conditions for selection to the posts to be recruited, also it will be necessary for the Appointing Authority, to constitute a selection committee, which will follow these conditions with consent of the Government.
 - (viii) Separate merit list of the written examination shall be prepared for open direct recruitment and limited direct recruitment.
 - (ix) In open direct recruitment and limited direct recruitment the post shall be reserved for the candidates who are the member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes (non creamy layer), according to the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan)) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and guidelines of the circulars issued by General Administration Department of the Government shall apply.
- (x) For recruitment to the service, reservation for persons with disability shall be according to the provisions of General Administrative Department.
- (xi) According to the conditions of these rules and provisions of Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, candidates will be considered for appointment against the available vacancies in the order of their names as mentioned in the merit list.
- (xii) The selection list for the post of supervisor, shall be in the order of seniority of the merit list, prepared from the result of the examination for each category.
- (xiii) While filling up the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, appointment shall be considered, in the order of their name as appear in the merit/ selection list.
- (xiv) The Syllabus, duration of examination, maximum marks etc for open direct recruitment and limited direct recruitment shall be decided by the Appointing Authority.
- (xv) Only inclusion of the candidate's name in merit list does not confer any right to appointment, unless the is satisfied after such inquiry as it may consider necessary, that the candidate is suitable/ eligible in all aspects for appointment to the services.
- (xvi) After the verification of eligibility related original documents of the candidates included in the selection list prepared category wise (Unreserved, Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other

Backward Classes and Persons with disabilities classes), appointment letter to the suitable candidates shall be issued. Verification of eligibility related original documents shall be done by Appointing Authority or any authority, nominated by the Appointing Authority.

- (xvii) The waiting list shall be valid up to one year from the date of issuing selection list.
- (xviii) Seniority list shall be determined as per the merit list. In case of equality of marks, the procedure decided by the Government would be adhered to for the same. Supervisors selected from limited direct recruitment will be placed after the supervisors, selected from open direct recruitment in the same seniority list.
- 7. Appointment in service.— All appointments to the service, after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.
- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment.-
 - (1) For open direct recruitment- In order to be eligible for open direct recruitment/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-
 - I. Age (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published.
 - (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes or Other Backward Classes (Non-creamy-layer).
 - (c) The upper age limit shall also be relaxable upto a maximum of 10 years for a women candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.
 - (d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below:-
 - (i) A candidate, who is a permanent or temporary Government servant should not be more than 38 years of age;
 - (ii) A candidate, holding a post temporarily /permanently and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the Project Implementing Committee;
 - (iii) A candidate who is a "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not before three years from the date of his registration at the employment exchange or application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation- The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concessions;

- (ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on-
 - (a) Completion of short term engagement;
 - (b) Fulfilling the conditions of the enrolment;
- (iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (iv) Ex-servicemen (Military and Civil) who are discharged on completion of their contract (including Short-Service Regular Commissioned Officers);
- (v) Ex-servicemen discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (vi) Ex-Servicemen invalidated out of service;
- (vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot, wounds, etc.
- (f) The upper age limit shall be relaxable upto 5 years in respect of awarded superior caste partner of a couple under Inter-Caste Marriage Promotional Scheme under the Untouchability Eradication Rules, 1984.
- (g) The upper age limit shall also be relaxable upto 5 years in respect of Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdeo Awards holder candidates and National Youth Award holder young candidates.
- (h) The upper age limit shall be relaxed up to 38 years of age in respect of candidates who are the employees of the Chhattisgarh State Corporations /Boards.
- (i) The upper age limit shall be relaxed in case of voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of Home Guard service previously rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years.
- (j) Candidates obtaining the benefit of relaxation in maximum age limit on the basis of their category (Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/ Women/ Widow/ Divorcee etc.) shall be given additional relaxation available in maximum age limit as usual, but in any case the maximum age shall not exceed 45 years irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.
- (k) Apart from above in respect of age limit, the directions issued by the General Administration Department of the Government, from time to time, shall also be applicable.
 - Note- (1) The candidates who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in para (i) and (ii) of sub-clause (d) of clause I of sub-rule (1) of rule 8 above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after taking the examination/selection. They shall, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.
 - (2) In no other case these age limits shall be relaxed. The departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority to appear for the examination/ selection.
- II. Educational qualifications- The candidate must possess the educational qualifications as prescribed for the service as shown in column (5) of Schedule-III.
- III. Fees:- The candidate must pay the fees as prescribed by the Appointing Authority.
- IV. Other Conditions- (a) Only female candidates shall be eligible.
 - (b) Candidate shall be domicile in the State of Chhattisgarh.
- (2) For limited direct recruitment—Only working Anganwadi Workers can apply for the post of supervisor under limited direct recruitment. An Anganwadi Worker must satisfy the following conditions, namely:-

- (i) Age limit- The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule on the first day of January of the year in which the advertisement for the post is published. Guidelines issued by General Administration Department regarding age limit shall also be effective.
- (ii) Educational qualification and experience— The candidate must have such educational qualification and experience as specified in column (5) of Schedule-III.
- 9. Selection committee.— (1) A selection committee shall be constituted by the Appointing Authority. In the committee representation of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes and Women Member shall mandatory (See column (6) of Schedule-III).
 - (2) Selection Committee shall be prepared separate list for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and persons with disabilities, in addition to the integrated list in order to merit of the candidates, for rule 6 (i)(a) and 6 (i)(b) for each.
 - (3) Selection Committee, shall provide selection list of candidates along with his recommendation to Appointing Authority on the basis of appointment order shall be issued.
- 10. Disqualification.- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, directly or indirectly, shall be held by the Appointing Authority to be a disqualification for appearing in the examination/selection.
 - (2) Any female candidate who has married a man, who is already having a living wife, shall not be eligible for appointment in any service or post:

Provided that if the Government is satisfied that there were specific reasons for doing so, then the Government may give relaxation in the enforcement of this rule to such candidates.

(3) Any candidate shall not be appointed to any service or post until he/ she is declared mentally or physically fit and free from any mental or physical disability which can hinder the fulfillment of duty of any service or post in such medical examination as may be prescribed:

Provided that in exceptional cases a candidate may be given temporary appointment on any service or post before his medical examination under a condition that if he is found medically unfit, then his services may be terminated immediately.

- (4) Any candidate shall not be eligible on such condition to any service or post, if the Appointing Authority is satisfied that, after due enquiry, which is considered necessary, she is not fit for such service or post.
- (5) Any candidate who is convicted for any offence against women shall not be eligible for any service or post:

Provided that if such matter is pending in a court against the candidate, then matter of his appointment shall be kept in abeyance till the criminal matter is finally determined by the court.

- (6) Any candidate, who is married, before the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for any service or post.
- 11. Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.— (1) The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for examination/selection shall be final and candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall not be allowed to appear in the examination.
 - (2) At any time of selection process or even after submission of selection list to the Government, if it comes to the notice of the Appointing Authority that a candidate has given wrong information or any discrepancy is found in the documents submitted by him, then he will be disqualified and his selection/appointment shall be terminated by the Appointing Authority.
- 12. **Probation.-** Every person recruited directly to the service shall be appointed on probation for a period of 3 years.
- 13. Reservation.— In the recruitment made under these service rules, reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes (non-creamy layer) and persons with disabilities shall be subject to the reservation rules of the concerned category and the guidelines issued by the General Administration Department of the Government from time to time.
- 14. Interpretation.- If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government, whose decision thereon shall be final.

15. Relaxation. - Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply, in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him then that provided in these rules.

16. Repeal and saving.— (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

(2) Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regards.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, POSHAN CHANDRAKAR, Special Secretary.

SCHEDULE-I (See rule 5)

S.No.	Name of the posts included in	Total number of	Classification	Pay Matrix Level	Appointing Authority
	the service	duty posts	(4)	(5)	(6)
(1)	(2)	(3)	Class-III	Level-9	On deputation from Director,
1.	Assistant Account Officer	02	Class-III	Lovers	Treasury and Accounts Services
2.	(R.W.T.C.) Supervisor	1750	Class-III	Level-6	Commissioner/ Director, Women and Child
28					Development Department

SCHEDULE-II (See rule 6)

			Percentage of numb	er of duty post to	be fulfilled in	Remarks
S. No.	Name of the Service/Post	Total number of duty post	By direct recruitment (See rule 6 (i)(a))	By promotion (See rule 6 (i)(b))	By transfer/ deputation of persons from other services (See rule 6 (i)(c))	
(1)	(2) Supervisor	(3)	(4) 50% open direct recruitment and 50% limited direct recruitment	(5)	(6)	Out of 50% of the vacant posts shall be filled by limited direct recruitment from Aganwadi Workers

SCHEDULE-III (See rule 6)

S. No	Name of service/post	Minimum age limit	Maximum age limit	Prescribed educational qualification and experience	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Supervisor (open direct recruitment)	21 years	35 years	Graduation degree from any recognized University	(1) Only female candidates shall be eligible for the posts of supervisor.
2.	Supervisor (Limited Direct Recruitment from working Anganwadi Workers)	25 years	45 years	(1) Passed Higher Secondary (10+2) Examination from any recognized Board, OR Passed old Higher Secondary Examination from any recognized Board.	(2) Selection Committee - (i) Chairman (ii) Representative member of Scheduled Castes (iii) Representative member of Scheduled Tribes (iv) Representative member of Other Backward Classes (v) Representative member of
				(2) Continuous 05 years service experience on the post of Anganwadi Worker. (3) Should be working on the post of Anganwadi Worker.	Women (3) In the computation of service experience and age of Anganwadi Worker, duration up to 1 st January of the year in which the advertisement for the post of Supervisor is published shall be included.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, POSHAN CHANDRAKAR, Special Secretary.